सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 31/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

माया सोनी पत्नि सतीश कुमार सोनी निवासी खवास तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र गणतपत
2. भंवरलाल पुत्र जयकिशन
3. कालूराम पुत्र जयकिशन
4. शान्ति पुत्री जयकिशन
5. रामधणी पत्नि बालकिशन
6. देवीसिंह पुत्र बालकिशन
7. विनोद पुत्र बालकिशन
   समस्त जाति दरोगा निवासी खवास तहसील केकडी जिला अजमेर
8. अजयसिंह दत्तक पुत्र सम्पत जाति दरोगा निवासी खवास तह. केकडी जिला अजमेर
9. रामलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण सोनी निवासी खवास तह. केकडी जिला अजमेर
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

11. मनफूल पत्नि गोपाललाल शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी खवास तह. केकडी जिला अजमेर

प्रफॉर्मा प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–22.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प खवास में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खवास तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2072–75 के खाता स. 595 के खसरा नम्बर 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3922, 4228, 4229, 4230, 4232, किता 12 कुल रकबा 7.71 है. भूमि में वादी/प्रतिवादीगण सह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जर्ये नामान्तकरण स. 2368 दिनांक 20.4. 2016 से जर्ये विक्रय पत्र वादग्रस्त आराजीयात में वादिया के नाम का अंकन दर्ज रिकॉर्ड स्वीकार हुआ एंव जर्ये नामान्तकरण स. 2568 दिनांक 22.9.2016 से जर्ये विक्रय पत्र से खसरा नम्बर 4228, 4229, 4230,एंव 4232 में प्रतिवादी स. 9 रामलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण सोनी के नाम का अंकन स्वीकार हुआ । वादग्रस्त आराजीयात के खसरा नम्बर 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3922, में वादीया का 1/6 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 4228, 4229, 4230, 4232 में वादीया का 1/10 हिस्सा है एवं इसी हिस्से अनुसार वादिया काबिल काश्त है तथा शेष आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण आये दिन हिस्से को लेकर लडाई झगडा करते है एंव वादिया के हिस्से में दखलदांजी उत्पन्न करते है। जिसके कारण यह वाद पत्र पेश किया गया है। जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

हमने वादीया का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी स. 3, 5, 7 की और से अधिवक्ता श्री महावीर गोधारा उपस्थित। पत्रावली मे अधिवक्ता श्री गोविन्द सोनी द्वारा मनफूली पत्नि गोपाललाल की और से पावर पेश किया एव साथ ही प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी.का पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीया मनफूल पत्नि गोपाललाल ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया भी राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। जिसके कारण वाद में प्रार्थीया को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है एंव न्यायसंगत है।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट खवास में पेश हुयी। वादीया/प्रतिवादीगण उपस्थित। हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। प्रार्थीया मनफूल पत्नि गोपाललाल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार कर मनफूल पत्नि गोपाललाल को पक्षकार मानते हुये प्रफॉर्मा प्रतिवादीस. 11 बनाया गया। वादग्रस्त आराजीयात वादीया , प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 एंव प्रफॉर्मा प्रतिवादी स. 11 की सयुंक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादीया के पक्ष में है तथा वादीया का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादीया का दावा वाके ग्राम खवास तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2072–75 के खाता स. 595 के खसरा नम्बर 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3922, 4228, 4229, 4230, 4232, किता 12 कुल रकबा 7.71 है. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादीया का दावा डिक्री किया जाता है। तथा प्रतिवादी स. 1 व 9 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के हिस्से की आराजीयात के कब्जे काश्त ,में बाधा उत्पन्न नहीं करें । तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। यदि पक्षकारान में कोई पक्षकार फोत हुआ है तो उसके वारिसान के नाम का अंकन बंटवारा प्रस्ताव में करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी